RFC/O&M/ 713

(371)

RAJASTHAN FINANCIAL CORPORATION
UDYOG BHAWAN, TILAK MARG,
JAIPUR
(CP&MD – TECH. CELL)

Ref.No.RFC/LA-13(6)/ 34 Dated : 20.01.2012

CIRCULAR

Sub : **Industrial Unit/other building construction proposed to be set up on State/National Highway.**

Guidelines/norms notified by the Industries Department with regards to units proposed to be set up on State/National Highway was circulated vide O&M Circular No.573 dated 21.2. 2002.

The norms has been reviewed and it has been decided that all type of industrial units and social infrastructure like Hotel, Commercial complex, Multiplex, Hospital/Nursing Homes etc., are to be set up on National/State Highway may be considered as per the norms of Indian Road Congress as notified by the Revenue Department of Government of Rajasthan vide their Circular No.E-10(8)Raj-6/2001/12 dated 02.06.2006 and letter dated 07.12.2011 received from the National Highway Authority along with Diagram in which details of distance to be maintained in respect of units proposed to be set up at State/National Highway. Copy of circular, letter and diagram are enclosed for ready reference.

As per Indian Road Congress at present building line/central line is 80 mtrs./150 mtrs.

Further, in such cases all concerned are advised to strictly follow the guidelines, amended from time to time, of Indian Road Congress.

It supersedes all earlier orders in this regard.

All concerned are advised to take a note of above and ensure compliance.

Executive Director

Copy to:
(i) All BOs/SOs
(ii) DGM(Operation I to VI).
(iii) Standard circulation at HO

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways)
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, जयपुर
156, गिरनार कॉलोनी, गांधी पथ, वैशाली नगर, जयपुर-302021
Project Implementation Unit, Jaipur
156, Girnar Colony, Gandhi Path, Vaishali Nagar, Jaipur-302021

दूरभाष / Phone : 91-141-2351427
फैक्स / Fax : 91-141-2351333
ई-मेल / E-Mail : jai@nhai.org

370

क्रमांक: भाराराप्रा / जेपीआर / 2010--11 / 2745 दिनांक: 07.12.2011

प्रबन्धक
राजस्थान वित्त निगम
सी–96, जगन पथ, चौमू हाऊस
जयपुर (राज.)

विषय :भवन मानचित्र स्वीकृति एवं एन.ओ.सी जारी करने ।
प्रसंग : आपका पत्रांक 3649 दिनांक 23.11.2011

महोदय,

उपरोक्त विषय में आप द्वारा प्रासंगिक पत्र के संलग्न ग्राम प्रतापपुरा तहसील शाहपुरा के खसरा नम्बर 2052 / 1 के संदर्भ में जानकारी चाही है।

इस संबंध में भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा जारी Standard & Specification क्रमांक आईआरसी--73--1980 का बिन्दु सं. 6.1.5 की छाया प्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है, जिसके अनुसार Building Line / Control Line के लिए 80 / 150 मीटर का प्रावधान है।

उक्त वर्णित / चिन्हित स्थान पर डिवाइडर के मध्य से वर्तमान में सड़क सीमा 31.05 मीटर तक है। आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सधन्यवाद।

भवदीय,

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

(ए.के. जैन)
परियोजना निदेशक
भाराराप्रा जयपुर

प्रतिलिपि : श्री अमरचन्द यादव पुत्र कानाराम यादव सा मनोहरपुर, कटारिया पेट्रोल पम्प के पास मनोहरपुर।

(368)

राजस्थान सरकार
राजस्व(ग्रुप–6)विभाग

क्रमांक– प0 10(8) राज–6/2001/12 जयपुर,दिनांक:– 2-05-2006

समस्त जिला कलेक्टर,
राजस्थान।

::परिपत्र::

विषय:–विभिन्न प्रकार की सड़कों के किनारे खाली पड़ी भूमि पर कितनी दूरी छोड़कर निर्माण/उधोग स्थापित करने के सबंध में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभिन्न प्रकार की सडकों के मध्य से कितनी दूरी छोड़कर निर्माण/उधोग लगाने के सबंध में राजस्व विभाग(ग्रुप–6)विभाग, भूमि रूपान्तरण विभाग द्वारा विभिन्न परिपत्र जारी की हुई है॥

1.राजस्व(ग्रुप–6)विभाग का परिपत्र 10(8)राज–6/2001/8 दि0 6.7.04
2. राजस्व(ग्रुप–6)विभाग का परिपत्र 10(8)राज–6/2001/18 दि0 1.11.04
3.राजस्व(ग्रुप–9)का परिपत्र 2(8)राज/भू.रू/राज–9/02 दि0 15.1.03
4. राजस्व((भूमि रूपान्तरण)विभाग का परिपत्र 2(8)भू.रू/ग्रुप–9/02 दि0 20.11.04

उक्त परिपत्रों के कारण यह भांति हो रही है कि किस प्रकार की सड़क के मध्य से कितनी दूरी पर निर्माण/उधोग लगाये जावे।

अतः उक्त समस्या के निराकरण हेतू निदेशानुसार उक्त सभी परिपत्रों के अतिक्रमण में यह परिपत्र जारी करते हुये लेख है कि शहरी क्षेत्रों के बाहर भूमि के सपरिवर्तन के समय जो भी इण्डियन रोड़ कांग्रेस के दिशा निर्देश उस समय प्रभावी हैं वे ही लागू होगें।भविष्य में इस सबंध में राजस्व विभाग के अतिरिक्त अन्य किसी विभाग द्वारा जैसे उधोग,भूमि रूपान्तरण विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कोई परिपत्र जारी नहीं किया जावेगा।

शहरी क्षेत्र हेतू नगरीय विकास व स्थानीय निकाय विभाग के नियम इस सबंध में लागू होगें। परन्तु पेराफेरी क्षेत्र में इण्डियन रोड़ कांग्रेस के दिशा निर्देश ही लागू होगें।

आज्ञा से.

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि:–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है।
1.प्रमुख शासन सचिव,उधोग विभाग।
2.प्रमुख शासन सचिव,सार्वजनिक निर्माण विभाग।

उप शासन सचिव

circular/p-29/k.k